

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० ६६] नई दिल्ली, रविवार, मार्च २९, १९७०/चैत्र ८, १८९२

No. 66] NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 29, 1970/CHAITRA 8, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi the 29th March 1970

G.S.R. 521.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 14A/70-Central Excises, dated the 23rd February, 1970, the Central Government hereby fixes a tariff value of Rs. 140/- per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*.

Provident that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

[No. 77/70-C.E.]

R. B. SINHA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना
केन्द्रीय उत्पादकर
नई दिल्ली, 29 मार्च, 1970

सां. कां. निं. 521 :—केन्द्रीय उत्पादकर और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 14ए/70 केन्द्रीय उत्पादकर तारीख 23 फरवरी 1970 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए टैरिफ मूल्य 140 रु० प्रति क्विंटल नियत करती है।

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन बिक्री की जाने के लिए अपेक्षित चीनी पर लागू नहीं होगी।

[सं० 77/70]

आर० पी० सिन्हा, उप सचिव।